विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन के बारे में अभिसमय

अनुच्छेद 1

1. यह अभिसमय उस राज्य से, जहां ऐसे पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन को चाहा गया है, भिन्न राज्य के अन्दर किए गए और ऐसे व्यक्तियों के, चाहे वे देहदारी हैं या विधिक, आपनी मतभेदों के कारण उत्पन्न हुए, माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन को लागू होगा। यह उन माध्यस्थम् पंचाटों को भी लागू होगा जो ऐसे राज्य में, जहां उनकी मान्यता और प्रवर्तन को चाहा गया है, देशी पंचाट नहीं माने गए हैं।

2. "माध्यस्थम् पंचाट" पद के अन्तर्गत न केवल ऐसे पंचाट हैं जो हर मामले के लिए नियुक्त मध्यस्थों द्वारा किए गए हैं, किन्तु उनमें ऐसे पंचाट भी हैं, जो स्थायी माध्यस्थम् निकायों द्वारा, जिनसे पक्षकारों ने निवेदन किया है, किए गए हैं।

3. जब इस अभिसमय को हस्ताक्षरित, अनुसमर्थित या अंगीकृत किया जाता है, या इसके अनुच्छेद 10 के अधीन उसका विस्तारण अधिसूचित किया जाता है तो पारस्परिकता के आधार पर कोई राज्य यह घोषित कर सकेगा कि वह इस अभिसमय को अन्य संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में ही किए गए पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन को लागू करेगा। वह यह भी घोषित कर सकेगा कि वह इस अभिसमय को विधिक संबंधों से चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं जो उस राज्य की जो ऐसी घोषणा कर रहा है राष्ट्रीय विधि के अधीन वाणिज्यिक माने जाते हैं, उत्पन्न होने वाले मतभेदों को ही लागू करेगा।

अनुच्छेद 2

1. हर संविदाकारी राज्य ऐसे लिखित करार को मान्यता देगा जिसके अधीन पक्षकार ऐसे सभी या किन्हीं मतभेदों को जो परिनिश्चित विधिक संबंध के बारे में चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य विषयवस्तु के संबंध में जो उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हों, माध्यस्थम् को प्रस्तुत करने का जिम्मा लेते हैं।

2. "लिखित करार" पद के अन्तर्गत किसी संविदा में ऐसा माध्यस्थम् खंड या ऐसा माध्यस्थम् करार भी सम्मिलित होगा जो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा या पत्रों या तारों के आदान-प्रदान में समाविष्ट होगा

3. जब कि ऐसे विषय के बारे में जिसके संबंध में अनुच्छेद के अर्थ में पक्षकारों ने कोई करार किया है, किसी संविदाकारी राज्य के न्यायालय के हाथ में मामला चला गया हो तब वह न्यायालय पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के निवेदन पर पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए उस दशा में ही निर्देशित करेगा जब उसका यह निष्कर्ष होता है कि उक्त करार अकृत और शून्य, अप्रवर्तनशील या पालन किए जाने के अयोग्य नहीं है।

अनुच्छेद 3

हर संविदाकारी राज्य माध्यस्थम् पंचाटों को आबद्धकर रूप में मान्यता देगा और वह ऐसे राज्यक्षेत्र के, जहां निम्नलिखित अनुच्छेदों में अधिकथित शर्तों के अधीन पंचाट पर निर्भर किया जा रहा है प्रक्रिया के नियमों के अनुसरण में उनका प्रवर्तन करेगा। ऐसे माध्यस्थम् संबंधी पंचाटों की जिनको यह अभिसमय लागू होता है मान्यता या प्रवर्तन पर उन शर्तों या फीसों या प्रभारों से सारतः अधिक दुर्भर शर्तें या अधिक फीसें या प्रभार अधिरोपित नहीं किए जाएंगे जो कि देशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता या प्रवर्तन पर अधिरोपित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 4

1. पूर्ववर्ती अनुच्छेद में वर्णित मान्यता और प्रवर्तन अभिप्राप्त करने के लिए, मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार आवेदन करते समय, निम्नलिखित देगा :—

(क) सम्यक्त: अधिप्रमाणित मूल पंचाट या उसकी सम्यक्त: प्रमाणित प्रति,

(ख) अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मूल करार या उसकी सम्यक्त: प्रमाणित प्रति।

2. यदि इस देश की जिसमें पंचाट पर निर्भर किया जा रहा है, किसी राजभाषा में उक्त पंचाट या करार नहीं किया गया है, तो वह पक्षकार, जो पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन कर रहा है, इन दस्तावेजों का अनुवाद उस भाषा में पेश करेगा। ऐसा अनुवाद किसी पदधारी या शपथगृहीत अनुवादक द्वारा या किसी राजनयिक या कौंसलीय अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

1. उस पक्षकार के निवेदन पर जिसके विरुद्ध पंचाट का अवलंब लिया जा रहा है, पंचाट को मान्यता देने और प्रवर्तित करने से इंकार केवल उस दशा में किया जा सकेगा, जबकि मान्यता और प्रवर्तन चाहने की दशा में वह पक्षकार सक्षम प्राधिकारी को यह सबूत दे देता है कि—

(क) अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट करार के पक्षकार उनको लागू होने वाली विधि के अधीन, किसी असमर्थता से ग्रस्त थे, या उक्त करार उस विधि के अधीन, जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है, या उसमें उसके बारे में कोई संकेत न होने पर, उस देश की विधि के अधीन, जहां पंचाट किया गया था, विधिमान्य नहीं है ; या

(ख) उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध पंचाट का अवलंब लिया जा रहा है, मध्यस्थ की नियुक्ति या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अन्यथा अपने पक्ष कथन को प्रस्तुत करने में असमर्थ था ; या

(ग) पंचाट में ऐसे मतभेद पर विचार किया गया है, जो माध्यस्थम् के लिए निवेदन के निबंधनों द्वारा अनुध्यात नहीं है या उनके अन्तर्गत नहीं आता है, या इसमें माध्यस्थम् के लिए निवेदन के विषय क्षेत्र से बाहर के विषयों पर विनिश्चय अन्तर्विष्ट है, परन्तु यदि माध्यस्थम् के लिए निवेदित विषय संबंधी विनिश्चयों को उन विषयों से संबंधित विनिश्चयों से पृथक् किया जा सकता है, जो इस प्रकार माध्यस्थम् के लिए निवेदित नहीं किए गए हैं, तो पंचाट के उस भाग को जिसमें माध्यस्थम् के लिए निवेदित विषयों के बारे में विनिश्चय अन्तर्विष्ट हैं, मान्यता दी जा सकेगी और उसे प्रवर्तित किया जा सकेगा ; या

(घ) माध्यस्थम् प्राधिकरण का गठन या माध्यस्थम् की प्रक्रिया पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, या ऐसे करार के अभाव में, यह उस देश की, जहां माध्यस्थम् किया गया था, विधि के अनुसार नहीं थी, या

(ङ) पंचाट अभी पक्षकारों पर आबद्धकर नहीं हुआ है या उस देश के जिसमें या जिसकी विधि के अधीन, उस पंचाट को किया गया था, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अपास्त या निलंबित किया गया है ।

2. किसी माध्यस्थम् पंचाट को मान्यता देने और प्रवर्तन करने से उस दशा में भी इंकार किया जा सकेगा, जबकि उस देश का, जहां मान्यता और प्रवर्तन चाहा गया है, समक्ष प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है, कि—

(क) मतभेद की विषयवस्तु का निपटारा उस देश की विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा नहीं किया जा सकता है ; या

(ख) पंचाट की मान्यता या प्रवर्तन उस देश की लोक नीति के विरुद्ध होगा ।

अनुच्छेद 6

यदि अनुच्छेद 5(1)(ङ) में निर्दिष्ट किसी सक्षम प्राधिकारी को पंचाट को अपास्त करने या निलंबित करने के लिए कोई आवेदन किया गया है, तो वह प्राधिकारी जिसके समक्ष पंचाट पर निर्भर किया जा रहा है, उस दशा में पंचाट के प्रवर्तन पर विनिश्चय देना स्थगित कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना उचित समझता है, और पंचाट के प्रवर्तन का दावा करने वाले पक्षकार के आवेदन पर दूसरे पक्षकार को उचित प्रतिभूति देने के लिए आदेश भी दे सकेगा ।

अनुच्छेद 7

1. वर्तमान अभिसमय के उपबंध, संविदाकारी राज्यों द्वारा किए गए माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन के बारे में बहुपक्षीय या द्विपक्षीय करारों की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न वे किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसे किसी अधिकार से वंचित करेंगे जिससे वह माध्यस्थम् पंचाट से उस देश की, जहां ऐसे पंचाट पर निर्भर किया जा रहा है ; विधि या संधियों द्वारा अनुज्ञात रीति से और विस्तार तक लाभ उठा सकेगा ।

2. 1923 के माध्यस्थम् खंडों के बारे में जेनेवा प्रोटोकोल और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के निष्पादन के बारे में, 1927 के जेनेवा अभिसमय का प्रभाव संविदाकारी राज्य पर उनके इस अभिसमय द्वारा आबद्ध हो जाने पर और उस विस्तार तक जिस विस्तार तक वे आबद्ध हो गए थे, समाप्त हो जाएगा ।

अनुच्छेद 8

1. यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य की ओर से तथा ऐसे किसी अन्य राज्य की ओर से भी, जो संयुक्त राष्ट्र के किसी विशिष्ट अभिकरण का सदस्य है, या इसके पश्चात् सदस्य बन जाता है, या जो अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के स्टेट्यूट का या किसी अन्य राज्य का, जिसको संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा निमंत्रण दिया गया है, पक्षकार है या इसके पश्चात् पक्षकार बन जाता है, 31 दिसम्बर, 1958 तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा ।

2. इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन की लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त की जाएगी ।

अनुच्छेद 9

1. यह अभिसमय अंगीकरण के लिए अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट सभी राज्यों के लिए खुला रहेगा ।

2. अंगीकरण का कार्य अंगीकार-पत्र को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त करके कार्यान्वित किया जाएगा ।

अनुच्छेद 10

1. कोई भी राज्य, हस्ताक्षर, अनुसमर्थन या अंगीकरण के समय यह घोषित कर सकेगा कि यह अभिसमय उन सभी राज्यक्षेत्रों या उनमें से किसी राज्यक्षेत्र पर जिन अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के लिए वह जिम्मेदार हैं विस्तारित होगा । ऐसी घोषणा तभी प्रभावी होगी जबकि अभिसमय संबद्ध राज्य के लिए प्रवृत्त होता है ।

2. तत्पश्चात् किसी भी समय ऐसा कोई विस्तारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित अधिसूचना द्वारा किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा इस अधिसूचना की प्राप्ति के दिन के पश्चात् नब्बेवें दिन या सम्बद्ध राज्य के लिए अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख में से, जो कोई भी पश्चात्वर्ती हो, उस दिन से प्रभावी होगा ।

3. उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में जिनको यह अभिसमय हस्ताक्षर, अनुसमर्थन या अंगीकरण के समय विस्तारित नहीं किया गया है, हर सम्बद्ध राज्य इस अभिसमय का लागू होना ऐसे राज्यक्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की संभाव्यता पर विचार करेगा जो ऐसे राज्यक्षेत्रों की सरकारों की सम्मति के अध्यधीन होगा जहां संवैधानिक कारणों से यह आवश्यक है ।

अनुच्छेद 11

संपरिसंघीय या अनेकात्मक राज्य की दशा में, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :—

(क) इस अभिसमय के उन अनुच्छेदों के बारे में, जो परिसंघीय प्राधिकारी की विधायी अधिकारिता में आते हैं, परिसंघीय सरकार की बाध्यताएं इस विस्तार तक वही होंगी, जो कि उन संविदाकारी राज्यों की है, जो परिसंघीय राज्य नहीं हैं ;

(ख) इस अभिसमय के उन अनुच्छेदों के बारे में, जो घटक राज्यों या प्रांतों की, जो परिसंघ की संवैधानिक प्रणाली के अधीन विधायी कार्य करने के लिए आबद्ध नहीं हैं, विधायी अधिकारिता के अन्दर आते हैं, परिसंघीय सरकार घटक राज्यों या प्रांतों के समुचित प्राधिकारियों का ध्यान अनुकूल सिफारिश सहित यथासंभव शीघ्र ऐसे अनुच्छेदों की ओर आकर्षित करेगी ;

(ग) इस अभिसमय का परिसंघीय राज्य पक्षकार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से पारेषित किसी अन्य संविदाकारी राज्य के निवेदन पर, परिसंघ और उसकी घटक इकाइयों की इस अभिसमय के किसी विशिष्ट उपबंध के बारे में विधि और प्रथा के संबंध में एक विवरण उस विस्तार को दर्शित करते हुए देगा, जहां तक कि विधायी या अन्य कार्य द्वारा उस उपबंध को कार्यान्वित किया गया है ।

अनुच्छेद 12

1. तीसरे अनुसमर्थन या अंगीकार-पत्र के निक्षेप की तारीख से अगले नब्बेवें दिन को यह अभिसयम प्रवृत्त हो जाएगा ।

2. तीसरे अनुसमर्थन या अंगीकार-पत्र के निक्षेप के पश्चात्, हर राज्य के लिए, जो इस अभिसमय को अनुसमर्थित या अंगीकार कर रहा है, यह ऐसे राज्य द्वारा अपने अनुसमर्थन या अंगीकार-पत्र का निक्षेप करने के पश्चात् नब्बेवें दिन को प्रवृत्त हो जाएगा ।

अनुच्छेद 13

1. कोई संविदाकारी राज्य संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना द्वारा इस अभिसमय का प्रत्याख्यान कर सकेगा । प्रत्याख्यान महासचिव द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् प्रभावी होगा ।

2. कोई राज्य जिसने अनुच्छेद 10 के अधीन घोषणा की है या अधिसूचना निकाली है, तत्पश्चात् किसी भी समय, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि महासचिव द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् इस अभिसमय का विस्तारण सम्बद्ध राज्यक्षेत्र पर होना समाप्त हो जाएगा ।

3. यह अभिसमय उन माध्यस्थम् पंचाटों को लागू होता रहेगा जिसके संबंध में प्रत्याख्यान के प्रभावी होने के पूर्व मान्यता या प्रवर्तन विषयक कार्यवाहियां चलाई गई हैं ।

अनुच्छेद 14

कोई संविदाकारी राज्य उसी विस्तार तक ही अन्य संविदाकारी राज्यों के विरुद्ध इस अभिसमय का लाभ उठाने का हकदार होगा जिस विस्तार तक वह स्वयं अभिसमय को लागू करने के लिए आबद्ध है ।

अनुच्छेद 15

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अनुच्छेद 8 से अनुध्यात राज्यों को निम्नलिखित बातें अधिसूचित करेंगे :—

(क) अनुच्छेद 8 के अनुसार हस्ताक्षर और अनुसमर्थन ;

(ख) अनुच्छेद 9 के अनुसार अंगीकरण ;

(ग) अनुच्छेद 1, 10 और 11 के अधीन घोषणाएं और अधिसूचनाएं ;

(घ) वह तारीख, जिसको यह अभिसमय अनुच्छेद 12 के अनुसार प्रवृत्त होता है ;

(ङ) अनुच्छेद 13 के अनुसार प्रत्याख्यान और अधिसूचनाएं ।

अनुच्छेद 16

1. यह अभिसमय, जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी पाठ भी समान रूप से अधिप्रमाणित होंगे, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में निक्षिप्त किया जाएगा ।

2. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इस अभिसमय की एक प्रमाणित प्रति अनुच्छेद 13 से अनुध्यात राज्यों को पारेषित करेंगे ।